योजना के परिणामों का मैदानी स्तर पर हो मूल्यांकनः राज्यपाल

भोपाल (काप्र)।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि व्यक्तिगत और सामुदायिक योजना के परिणामों का मूल्यांकन मैदानी स्तर पर किया जाए। वंचित और छूट रहें व्यक्तियों और क्षेत्रों तक विकास की योजनाओं की पहुँच को सफलता का पैमाना माना जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजना को पहुँचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। मॉनिटरिंग का भी यही लक्ष्य होना चाहिए।

श्री पटेल आज जनजातीय प्रकोष्ठ के द्वारा संयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक का आयोजन दो सत्रों में किया गया प्रथम सत्र में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और आयुष विभाग की समीक्षा की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद थे। द्वितीय सत्र में जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि स्क्रीनिंग के दौरान सिकल सेल प्रभावितों की अधिक संख्या वाले चिन्हित क्षेत्रों और 20 से 30 वर्ष की आयु समूह की स्क्रीनिंग के कार्य को व्यापकता प्रदान की जाए। जांच का कार्य तेज गति से किया जाए। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व और प्रसव के 72 घन्टों के भीतर जांच हो। इस संबंध में विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार की जाना चाहिए। चिन्हित वाहक और रोगियों को प्राथमिकता के साथ जेनेटिक कार्ड उपलब्ध हो। रोगी और वाहक को तत्काल उचित औषधि उपलब्ध हो। वाहक और रोगी नियमित रूप से औषधि लें। इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग के लिए सामुदायिक जन जागृति के प्रयास आवश्यक हैं। जरूरी है कि घर-घर जाकर इस संबंध में सीधा संपर्क और संवाद कायम किया जाए। उन्होंने मैदानी अमले का संवेदीकरण कर, उनके माध्यम से जन जागरण के प्रयासों के लिए निर्देश दिए है।

सिकल सेल उन्मूलन में आयुष की पद्धतियों का तुलनात्मक परीक्षण हो

श्री पटेल ने आयुष विभाग की चर्चा के दौरान कहा कि सिकल सेल रोग प्रबंधन और उपचार में होम्योपैथी, आयुर्वेद और योग की भूमिका के संबंध में विभाग द्वारा किए जा रहे अनुसंधान का तुलनात्मक परीक्षण भी कराया जाए। पॉयलट जिलों की सभी तहसील के वाहक और रोगी अध्ययन में सम्मलित हो। इसकी सुनिश्चितता की जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन प्रयासों को व्यापकता प्रदान करने में आयुर्वेद की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि मेडिकल कॉलेज इंदौर के ट्रांसफ्यूज़न विभाग को केन्द्र सरकार द्वारा सेंटर ऑफ कॉम्पीटेंस घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल प्रभावितों को जेनेटिक कार्ड प्रदान करने के साथ ही प्रसव पूर्व जांच के प्रयासों को भी व्यापकता दी जाएगी। आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय कर सिकल सेल जन जागृति के प्रयासों को विस्तारित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि समस्त महाविद्यालयों में सिकल सेल के संबंध में चिकित्सकों के द्वारा जानकारी दिए जाने के लिए पीरियड निर्धारित कर विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता प्रसार के प्रयास किए जाएंगे।

बैठक के दूसरे सत्र में राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विकसित भारत का मूलाधार सबका साथ और सबका विकास है। इसी के लिए सरकार की योजनाओं का निर्माण किया गया है। योजना की मंशा की सफलता क्रियान्वयन की दृष्टि और दिशा पर आधारित होती है। उन्होंने कहा कि सरकारी अमला सरकार के चालक है। अमला जितना सजग और सक्रिय होगा। सरकार भी उतनी ही गतिशील होगी। इसलिए आवश्यक है कि शीर्ष से लेकर जमीनी स्तर तक का अमला योजना की मंशा के प्रति संवेदनशील हो।

मॉनीटरिंग की प्रणाली धरातल पर छूट गए व्यक्तियों, क्षेत्रों को चिह्नित करने पर फोकस हो। प्रयास, ऐसे क्षेत्रों, समुदाय और व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक प्रावधान, संशोधन और नवाचार पर केन्द्रित होने चाहिए। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने जनजातीय कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और विभागीय योजनाओं पर चर्चा में कहा कि विभाग द्वारा पी.वी.टी.जी जिलों में नए जिले शामिल किये जाने चाहिए। पेसा ग्राम सभाओं के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र राज्य के प्रावधानों का अध्ययन कर विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए।

प्रो. त्रिपाठी राजा शंकर शाह छिन्दवाड़ा के कुलगुरू नियुक्त

राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगुभाई पटेल ने राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा के कुलगुरू के पद पर प्रो. इन्द्र प्रसाद त्रिपाठी को नियुक्त किया है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, जिला सतना (म.प्र.) के विज्ञान एवं पर्यावरण संकाय के प्रोफेसर एवं अधिष्ठाता प्रो. त्रिपाठी है। प्रो. त्रिपाठी का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो, के लिए रहेगा।

मप्र विस अगले मानसून सत्र तक होगी पेपरलेस

भोपाल (काप्र)।

मप्र विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश की विधानसभा को मानसून सत्र, 2025 तक पेपरलेस किया जाए। इसके लिए विधानसभा में नेशनल ई-विधान परियोजना (नेवा) लागू की जाये।

उन्होंने इस परियोजना के लागू होने से पहले विधानसभा सदस्यों को भी इसकी पर्याप्त जानकारी देने को भी निर्देश दिये हैं।श्री तोमर आज विधानसभा में नेवा हाउस कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत है। उन्होंने अब तक 23 प्रदेशों के 25 सदनों ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ई-विधान परियोजना लागू करने के लिए एमओ पर हस्ताक्षर किये हैं। देश के 13 प्रदेशों के 14 सदनों में यह परियोजना लागू की जा चुकी है। श्री तोमर ने कहा कि अब प्रत्येक दो माह में परियोजना की प्रगति से समिति को अवगत कराया जाये। बैठक में बताया गया कि इस परियोजना के लिये केन्द्र सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय को नोडल विभाग बनाया गया है।

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ई-विधान परियोजना में एनआईसी का जिला स्तर तक सहयोग लिये जाने की बात कही। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस परियोजना को लागू करने के लिए विधायकों की जो समिति बनायी गयी है वह समिति जल्द उन राज्यों का दौरा करे, जहां इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। उन्होंने ई-विधान परियोजना के लिए साइबर सिक्यूरिटी पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही।

विधानसभा के प्रमुख सचिव, एपी सिंह ने बताया कि कुल परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार द्वारा और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन किया जायेगा। केन्द्र सरकार ने अभी तक 19 करोड़ 36 लाख रूपये लागत के परियोजना कार्यों का अनुमोदन कर दिया है। बैठक में टेबलेट, नेटवर्क और ई-लर्निंग एवं ई-फेसिलिटी सेंटर पर भी विचार किया गया। बैठक में तय हुआ कि विधायकों की सुविधा के लिए जिले के एन.आई.सी. सेंटर को नोडल ट्रेनिंग एजेंसी के तौर पर कहा जायेगा, जिससे विधायक सुविधाजनक तरीके से इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। परियोजना का प्रस्तुतिकरण अपर सचिव वीरेन्द्र कुमार ने दिया। बैठक में बताया गया कि केन्द्र सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत देश की समस्त विधानसभाओं को पेपरलेस करने एवं उन्हें एक प्लेटफार्म पर लाने के उद्देश्य से ई-विधान (नेवा) लाँच किया गया है। बैठक में समिति के सदस्य विधायक सर्वश्री अजय विश्नोई, बाला बच्चन, श्रीमती रीति पाठक, सुरेश राजे, नीतेन्द्र सिंह राठौर, गौरव सिंह पारधी, अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संजय दुबे मौजूद थे।

सभी के सुझावों से आगामी बजट बनेगा लोक कल्याणकारी : देवड़ा

भोपाल (काप्र)। प्रदेश के चहुँमुखी विकास और जन-कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी गई है। बजट को अधिक लोक कल्याणकारी बनाने के लिये आमजन के सुझाव आमंत्रित किये जा रहे हैं। प्रदेश का आम नागरिक राज्य के बजट को प्रभावी बनाने अपने सुझाव साझा कर सकेंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी अपना योगदान देने के लिये अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का लोक कल्याणकारी बजट तैयार किया जायेगा।

विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार जिला स्तर पर भी किया जाना आवश्यक : सावित्री ठाकुर

अभियान 'मोटी आई' जैसे नवाचार से कुपोषण मुक्त मप्र बनेगा : निर्मला भूरिया

भोपाल (काप्र)।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर की अध्यक्षता और प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया की उपस्थिति में बुधवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक हुई।

केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती ठाकुर ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता के लिए पीएचई विभाग से समन्वय कर आंगनबाड़ियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के हरसंभव प्रयास कराये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार जिला स्तर पर व्यापक रूप से होना चाहिए। सरकारी कार्यालयों, बस स्टैंड्स, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों पर विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार निरंतर किया जाना चाहिए। लाड़ली बहना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रधानमंत्री की मंशानुरूप प्रचार प्रसार कराया जाना चाहिए।

महिला बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने झाबुआ में शुरू किये गए 'मोटी आई' कुपोषण मुक्त झाबुआ अभियान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे नवाचार से हम कुपोषण मुक्त मध्यप्रदेश बनाने में सफल होंगे। उन्होंने बताया कि स्वस्थ महिला को मोटी आई का नाम दिया गया है। झाबुआ में ऐसे बच्चे जिनकी माँ पलायन कर चली जाती है या महिला कम उम्र की होने से बच्चे के वजन को बढ़ाने में या उसे स्वस्थ रखने की समझ नहीं रखती है, ऐसी महिलाओं के कुपोषित बच्चों की जिम्मेदारी मोटी आई लेती है। जो पलायन कर गई माँ के बच्चों का अपने बच्चे सा ध्यान रखती है और कुपोषित बच्चे की माँ को स्वस्थ रहने में मदद करती है । सुश्री भूरिया ने केन्द्रीय राज्यमंत्री से प्रदेश में शुरू किये गये विशेष प्रोजेक्टस के अनुदान की स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा की।

प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने जानकारी दी कि विभाग द्वारा योजनाओं की शत प्रतिशत राशि खर्च की गई है। केंद्रीय महिला बाल विकास की संयुक्त सचिव ने सराहना भी की। आयुक्त, महिला बाल विकास श्रीमती सूफिया फारुकी वली ने जानकारी देते हुए बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मिनी आंगनवाड़ियों से आंगनवाड़ी केन्द्रों में ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। उन्होंने पीएम जनमन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण वाटिका का निर्माण, शी बॉक्स, मिशन वात्सल्य अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, डीसीपीयू, सीडब्ल्यूसी, जेजेबीसी में पदपूर्ति, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, महिला संबंधी कानून, बाल विवाह रोकथाम आदि अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की।

मातृछाया व वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर और महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने आयकर भवन के पीछे स्थित मातृछाया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मातृछाया के संचालक से बच्चों को उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं को विस्तृत से जाना और इसे व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। श्रीमती ठाकुर ने जे.पी. अस्पताल परिसर स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय राज्यमंत्री व विभागीय मंत्री ने सेंटर के कर्मचारियों से यहां आने वाली पीड़िताओं को दी जाने वाली कानूनी सलाह व उनको दिये जाने वाले उपचार संबंधी जानकारी प्राप्त की। सेंटर के संचालन से जुड़ी आवश्यक जानकारियां लीं और सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने बुधवार को वार्ड 52 स्थित चंद्रिका सोसायटी बावड़िया कलां में विधायक निधि से सीसी रोड निर्माण का भूमिपूजन किया।

विजयपुर एवं बुधनी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना की तैयारियां पूरी

भोपाल (काप्र)। विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के अंतर्गत श्योपुर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र.-02 विजयपुर एवं सीहोर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र.-156 की मतगणना शनिवार, 23 नवम्बर को सुबह 8 बजे से आरंभ होगी।

दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी को मतगणना के लिये सभी सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गये हैं। विजयपुर विधानसभा की मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, श्योपुर में होगी। इस विधानसभा क्षेत्र के 327 मतदान केन्द्रों में मतदाताओं द्वारा ईव्हीएम में डाले गये मतों की गणना के लिए 16 टेबल्स लगाई जाएंगी। मतगणना 21 राउंडस् में सम्पन्न कराई जाएगी।

बुधनी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीहोर में होगी।

In The Court of XVI Civil Judge, Class-II District Court, Bhopal
Presiding Officer: कपिल बौरासी
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCSA/0001202/2024)
सै. मोहम्मद मुर्तुजा **वादी VS** नगर निगम भोपाल
.....**प्रतिवादी**
Process ID-/2024 पेशी दि. 06/01/2025
प्रतिवादी-(1) सर्वसाधारण पता-सर्वसाधारण यह कि प्रार्थी सै. मोहम्मद मुर्तुजा ने आपके विरूद्ध वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधज्ञा हेतु के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात /हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें 7 न्यास आज तारीख 19 November 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है । **कृपया ध्यान दें**: यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।
2586 **कपिल बौरासी, न्यायाधीश**
सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भोपाल म.प्र.

In The Court Of XI Additional Motor Accident Claims Tribunal, District Court, Bhopal
Presiding Officer :श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MACC/0001369/2020)
सुदराम... **वादी VS** सुनील धुर्वे ...**प्रतिवादी**
Process ID-/2024 पेशी दि. 06/12/2024
प्रतिवादी-(1) सुनील धुर्वे पिता सुंदरलाल धुर्वे पता-टेमनी जिला बैतूल मप्र. 460220 (2) रवीश सिंग निकुम पिता भिकू सिंह निकुम पता-बजरंग टेंपल मोहल्ला रातामाली खेडी सावलीगढ बैतूल मप्र. 460225 **यह कि प्राथी** सुदराम ने आपके विरुद्ध आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधि0 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आन तारीख 20 November 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है । **कृपया ध्यान दें** :1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।
श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव, न्यायाधीश सदस्य
CC **ग्यारहवें मो. दु. दावा अधि. भोपाल (म.प्र.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.
प्र.क्र. 0228020320151106-22918224
इश्तहार
आवेदक आवेदक सतीश साकरे आ. पत्नी नारायण साकरे निवासी मनं. 65 गली नं - 01, द्वारिका नगर द्वारा ग्राम चीचली स्थित खसरा नंबर 324,क्षेत्रफल 600 वर्गफिट अर्थात 2.914 एकड़ का अक्स नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 06/12/2024 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 20/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।
2587 सील **अतिरिक्त तहसीलदार तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.**

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s एम.एम. अग्रवाल एण्ड कम्पनी, पता-9, न्यू मार्केट, टी.टी. नगर हुजुर भोपाल - 4 6 20 0 3 में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/0424/16, दिनांक 12.02.2016 है। जिसमें दिनांक 15.10.2021 को भागीदार श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री मुरारीलाल अग्रवाल, निवासी-8-9, बजरंग किराना स्टोर, न्यू मार्केट, टी. टी. नगर, हुजुर, भोपाल-462030 का निधन हो जाने से फर्म से स्वतः ही पृथक हो गए है एवं दिनांक 18.10.2021 को श्री प्रशांत अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल निवासी-8-9, बजरंग किराना स्टोर, न्यू मार्केट, टी.टी. नगर, हुजुर, भोपाल-462030 फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए है, आमजन एवं सर्वजन सूचित हो ।
M/s **एम.एम. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
श्री बजरंग अग्रवाल भागीदार
8-9, बजरंग किराना स्टोर, न्यू मार्केट, टी.टी. नगर, हुजुर, भोपाल-462030
मो.9826357410
2588

जाहिर सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेर्सस तेजिन्दर सिंह एण्ड सन्स पता ई-4/35, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 46 सन् 2000-2001 दिनांक 7 सितम्बर 2000 है । दिनांक 27.06.2024 को श्री तेजिन्दर सिंह पुत्र स्व. श्री अवतार सिंह, निवासी ई-4/35, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.) भागीदारी फर्म से पृथक हुए।
मेसर्स तेजिन्दर सिंह एण्ड सन्स
श्री बलविन्दर पाल सिंह, पार्टनर
ई-1/103, अरेरा कालोनी, भोपाल म.प्र.
2589

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, संभाग क्रमांक -1,जी.टी.बी. कॉम्पलेक्स, न्यू मार्केट भोपाल म.प्र.
आम सूचना
हाउसिंग पार्क कॉलोनी, बैरसिया रोड, भोपाल में स्थित भवन क्र.-सीनियर एच. आई.जी.- 65 मंडल द्वारा श्रीमती देवकुंवर बाई मीणा एवं श्री हेम सिंह मीणा के नाम से आवंटित है। उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्रीमती शबाना हुसैन पत्नी श्री अनवर हुसैन को हस्तांतरण किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/ संस्था को इस में कोई आपत्ति हो तो विज्ञापित प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मंडल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. संभाग क्रमांक - 1, भोपाल
2590

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल
आम सूचना
हाऊसिंग बोर्ड, मेट्रो प्लाजा, व्यवसायिक काम्पलेक्स, ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल में स्थित दुकान / शोरूम क्रमांक- 4 (प्रथम तल) मण्डल द्वारा (1) श्रीमती निर्मल बाबू तुलस्यान पत्नी श्री बाबू दुर्गादास तुलस्यान (2) श्री बाबू दुर्गादास तुलस्यान आत्मज श्री दुर्गादास तुलस्यान के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 01/03/2006 को पंजीकृत है। (1) श्रीमती निर्मल बाबू तुलस्यान (2) श्री बाबू दुर्गादास तुलस्यान से श्रीमती अनीता कटारिया पत्नी श्री राजेश कटारिया को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 21/04/2023 को पंजीकृत किया गया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति श्रीमती अनीता कटारिया पत्नी श्री राजेश कटारिया के नाम से हस्तांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति का हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल
2591

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एग्रीकल्चर बिजनेस एण्ड डेव्हलेपमेंट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड भोपाल, जिला भोपाल
(पंजी. क्र./मुख्या/उर्व/19/281
दिनांक 26.03.2019)
क्रमांक/र.अ. दिनांक 21.11.2024
प्रथम प्रकाशन की सूचना
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सोसाइटी के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन साधारण सम्मिलन/विशेष साधारण सम्मिलन में सम्पन्न होना है। अतएव, सोसाइटी की सदस्यता सूची का प्रकाशन सोसाइटी कार्यालय के नोटिस बोर्ड, पंजीयक सहकारी सहकारी संस्थाऐं, म.प्र. भोपाल, संबंधित विकास खण्ड कार्यालय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा टी.टी. नगर, भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 21.11.2024 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 21.11.2024 से दिनांक 28.11.2024 तक सोसाइटी कार्यालय नीम रोड जिंसी भोपाल में श्री ऋषभ कुमार जैन, संस्था कर्मचारी को सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण सोसाइटी कार्यालय में दिनांक 29.11.2024 को दोपहर 12:00 बजे से किया जायेगा। आपत्तियों के निराकरण के दिन आपत्तिकर्ता सदस्य उपस्थिति हो सकते है। आपत्तियों के संबंध में पृथक से व्यक्तिशः सूचना नहीं दी जावेगी। यदि किसी सदस्य की कोई आपत्ति है और वह उपस्थित नहीं होता है तो भी उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आपत्तियों का निराकरण किया जावेगा।
दिनेश चंद्र शुक्ला
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एग्रीकल्चर बिजनेस एण्ड डेव्हलेपमेंट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड भोपाल
2592